न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र/सरफेसी एक्ट/2023/62

एक्सिस बैंक लिमि0 जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी पार्थ मदान

......प्रार्थी

बनाम

माखन सिहं पुत्र अतर सिहं, निवासी माड़ापुरा, भरतपुर राज0

......अप्रार्थी/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाईनान्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टररस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संशोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 04.01.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियन 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 25.01.2021 को राशि रू. 08,90,000/- (शब्देन आठ लाख नब्बे हजार रू. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थी/ऋणी द्वारा लिये गये ऋण को समय पर नहीं चुकाये जाने के कारण ऋण के एवज में बंधक आवासीय सम्पत्ती पट्टा नं0/प्लॉट नं0 65 ग्राम पंचायत माडापुरा, तहसील रूपवास जिला भरतपुर में माखन सिहं के स्वामित्व व आधिपथ्य का स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 254 वर्ग गज है। जिसके पूर्व में शैलेन्द्र सिहं की भूमि, पश्चिम में टिमनपाल का मकान, उत्तर में स्वयं की भूमि व वासुदेव का मकान, तथा दक्षिण में अशोक की भूमि व आम रास्ता स्थित है पर भौतिक कब्जा दिलाये जाने हेतु पेश किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी की अचल सम्पत्ति पट्टा नं0/प्लॉट नं0 65 ग्राम पंचायत माडापुरा, तहसील रूपवास जिला भरतपुर राजस्थान में जिसका कुल क्षेत्रफल 254 वर्ग गज, बंधक रखी जाकर बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। जिसके एवज में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 25.01.2021 को राशि रू. 8,90,000/- (शब्देन आठ

प्रार्थना पत्र/सरफेसी एक्ट/2023/62
एक्सिस बैंक बनाम माखन सिहं

लाख नब्बे हजार रू. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थी/ऋणी द्वारा बंधक अभिलेखानुसार ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 02.05.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग 60 दिन में, दिनांक 20.07.2023 तक बकाया ऋण राशि रू. 1067788/– (शब्देन दस लाख सड़सठ हजार सात सौ अठ्यासी रू. मात्र) एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे लागत इत्यादि जमा कराये जाने हेतु दिनांक 27.07.23 को जरिये रजिस्टर्ड डाक को नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा निर्धारित समयावधि 60 दिवस समाप्त होने के पश्चात भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अभिलेख निष्पादित करते समय बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में भौतिक कब्जा दिया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि:–

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही अप्रार्थीग/ऋणी द्वारा ऋण लेते समय बंधक रखी गई बंधक आवासीय सम्पत्ती पट्टा नं0/प्लॉट नं0 65 ग्राम पंचायत माडापुरा, तहसील रूपवास जिला भरतपुर में माखन सिहं के स्वामित्व व आधिपथ्य का स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 254 वर्ग गज है। जिसके पूर्व में शैलेन्द्र सिहं की भूमि, पश्चिम में टिमनपाल का मकान, उत्तर में स्वयं की भूमि व वासुदेव का मकान, तथा दक्षिण में अशोक की भूमि व आम रास्ता स्थित है जिसका बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता कि प्रार्थी बैंक द्वारा भौतिक कब्जा लेते समय प्रार्थी बैंक के स्वयं के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर